

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्रीमती मीना

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम

विपक्षी : श्रीमती भगवतीबाई

पत्रावली संख्या : 34/24

जीसीएमएस : 2024/94

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्श्व तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 08.11.2024</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीयां उपस्थित। विपक्षी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भेरूलाल जाट उपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजीयात के प्रार्थीयां व विपक्षी सहखातेदार हैं। मूल वाद आज दिनांक को स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई हैं। अधिवक्ता प्रार्थीया का कथन है कि मौके पर निर्माण कार्य जारी है। मूल वाद में अन्तिम डिक्री जारी करने तक निर्माण कार्य नहीं करे इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें। अधिवक्ता विपक्षी का कथन है कि मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। विपक्षी के विरुद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। न्यायालय का अभिमत है कि मूल वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी की जा चुकी हैं। प्रारम्भिक डिक्री की पालना से पूर्व कोई नया निर्माण कार्य मौके पर नहीं हो। इस सम्बन्ध में उभय पक्षकारान को मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है ताकि प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न नहीं हो। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि मौजा चंगेडी पटवार हल्का चंगेडी की जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 406 पर दर्ज आराजी नम्बर 3793/2207, 3798/2216, 3799/2217, 3804/2213 कित्ता 4 कुल रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान मौके की यथास्थिति बनाये रखें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.) सहायक कलक्टर (FT) मावली</p>	

